कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।

संख्याः 2290/ओएसडी

दिनांक 22 मार्च, 2020

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–5 की आदेश संख्या 679/पांच–5/2020 दिनांक 22–03–2020 के अनुपालन में मैं, प्रभु एन0 सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, आगरा एत्द्द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा–144, महामारी अधिनियम–1897 (अधिनियम संख्या–3 सन् 1897) की धारा–2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में दिनांक 25–03–2020 तक जनपद आगरा में निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ :–

1. जनपद आगरा के समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि के अन्तर्राज्यीय (Inter State), अन्तराराज्यीय (Intra State) संचालन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में अधिकृत सार्वजनिक वाहन उपलब्ध रहेंगे।
2. साप्ताहिक बाजारों तथा प्रदर्शनी, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, संगोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
3. जनपद आगरा की सभी सीमायें सील की जाती है। किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबन्धित किया जाता है। जनपद आगरा से राष्ट्रीय राजमार्ग/यमुना एक्सप्रेस वे द्वारा बाहर–बाहर जाने की अनुमति होगी।
4. जनपद के समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्राइवेट कार्यालय बन्द किये जाते है। निम्नलिखित अत्यावश्यक सेवा प्रदान करने वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे, लेकिन समस्त कार्मिक पहचान पत्र को हर समय अपने पास रखेंगे एवं वाहन की विन्डो स्क्रीन पर क्रमांक के साथ वाहन पास चस्पा रखेंगेः–
    1. चिकित्सा
    2. पुलिस, सशस्त्र बल, अर्द्ध सैन्य बल और ऐयरफोर्स
    3. नगर निगम/नगर निकाय/उर्जा/खाद्य एवं रसद/अग्नि शमन
    4. आपात कालीन सेवाएं एवं टेलीफोन/इंटरनेट/डेटा सेन्टर/नेटवर्क सर्विसेज/आई0टी0 इनेबिल्ड सर्विसेज एवं आई0टी0 संबंधित सेवाएं तथा ऐसे डेटा सेन्टर जो आई0टी0 सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक है।
    5. डाक सेवाएं
    6. बैंक/एटीएम/बीमा कम्पनियाँ
    7. ई–कॉमर्स (खाद्य वस्तु, होम डिलिवरी, ग्रॉसरी)
    8. प्रिंट इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडिया
    9. पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, ऑयल एजेन्सी (इनसे सम्बन्धित गोदाम एवं परिवहन के साधन)
    10. दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बन्धित निर्माण इकाईयों एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता
    11. पुशु चिकित्सा एवं पशु आहार से सम्बन्धित इकाईयां एवं विक्रेता
5. मैडीकल दुकान/सब्जी एवं फल विक्रेता/किराना एवं राशन दुकानदार/प्राइवेट हॉस्पीटल/क्लीनिक/डेयरी/डेयरी प्लांटस् से सम्बन्धित उत्पाद/पेट्रोल पम्प/एल०पी०जी०/सी0एन0जी0 गैस को छोड़कर जनपद के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, होटल (मेन्टेनेन्स स्टाफ को छोड़कर)/रेस्टोरेन्ट/बार पूर्णतः बन्द रहेंगे।

क्रमशः..........................2

6. 05 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह में एकत्र होना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
7. विभिन्न निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा संचालित समुह पर्यटन टूर पूर्ण रूप से निषिद्ध रहेंगे।
8. घर–घर जाकर दूध बॉटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर्स को प्रातःकाल 05:00 बजे से प्रातः 08:00 बजे तक इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाता है।
9. आलू किसानों को अपनी आलू की उपज को कोल्डस्टोर तक ले जाने में छूट रहेगी।
10. दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं यथा दवाइयॉ, खाद्यान आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारियों आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले निजी क्षेत्रों को उपरोक्त प्रतिबन्धों से बाहर रखा जायेगा। ऐसे समस्त कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र हर समय अपने पास रखना होगा।

इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(प्रभु एन० सिंह)
ज़िला मजिस्ट्रेट,
आगरा।

संख्या व दिनांक उक्त
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा को अवलोकनार्थ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन, आगरा को अवलोकनार्थ।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा को अवलोकनार्थ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को उक्त आदेश की अनुपालना सुनिश्चित कराने हेतु।
5. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
6. समस्त अपर जिलाधिकारीगण, जनपद आगरा।
7. नगर मजिस्ट्रेट, आगरा।
8. समस्त उप जिलाधिकारीगण/अपर नगर मजिस्ट्रेटगण, आगरा।
9. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जनपद आगरा/संबंधित को अनुपालनार्थ।
10. जिला सूचना अधिकारी, आगरा को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार जनहित में जनपद आगरा के दैनिक समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से निःशुल्क कराया जाना सुनिश्चित करें।

22/3/2020
जिला मजिस्ट्रेट,
आगरा।